न्यूज़ टुडे

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने पर जोर दिया

वर्तमान में सामाजिक विकास आयोग (CSocD) का **63वां सत्र आयोजित** हो रहा है। यह सत्र **सतत विकास एजेंडा-2030** को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में **"एकजुटता, सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने"** पर केंद्रित है।

- **संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)** के अंतर्गत एक आयोग है। इसका मुख्य दायित्व **सामाजिक विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह** प्रदान करना है।

सामाजिक सामंजस्य क्या है?

- सामाजिक सामंजस्य उन अदृश्य बंधनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो **समाज को एकजुट करते हैं, आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और संवृद्धि को समाज के सभी सदस्यों के साथ साझा** करते हैं।
- सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण समाजों में **वंचित स्थिति में रहने वाले लोगों के समावेशन में सुधार के लिए प्रक्रियाएं मौजूद** रहती हैं, चाहे यह वंचना किसी भी आधार पर हो। इन आधारों में शामिल हैं- आयु, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल, नृजातीयता, आर्थिक व प्रवासन स्थिति या कोई अन्य आधार।
- **सामाजिक सामंजस्य के आयाम**
  - **यह मौजूदा स्तरों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है -**
    - **सामाजिक समावेशन;**
    - सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित **संस्थागत तंत्र;**
    - दूसरों और संस्थाओं के प्रति **एकजुटता एवं विश्वास की भावना** आदि।
- **सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करने वाले कारकों** में शामिल हैं- ध्रुवीकरण, गरीबी, हाशिए पर होना, अनिश्चितता का माहौल पैदा करने वाले भू-राजनीतिक तनाव आदि।

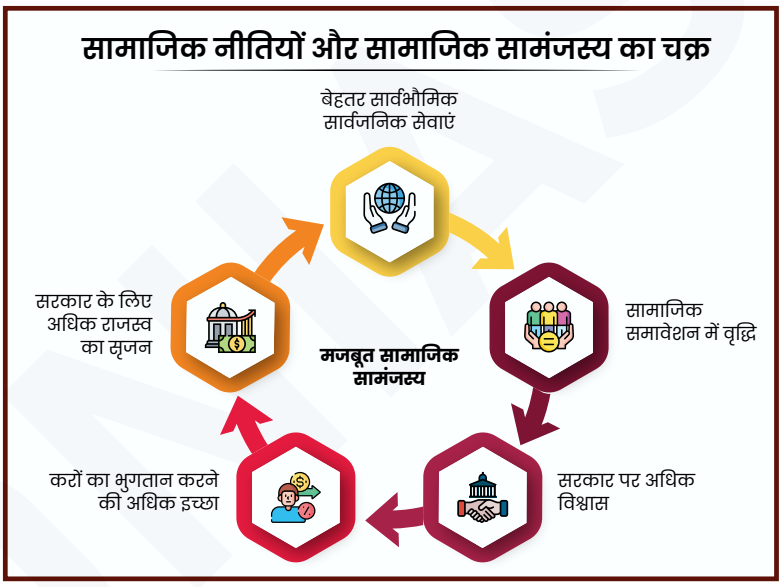

सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए की गई मुख्य सिफारिशें

- गरिमापूर्ण एवं सभ्य कार्य को बढ़ावा देना;
- किफायती स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान करना;
- प्रगतिशील और प्रभावी कराधान प्रणाली को लागू करना;
- वैध व विश्वसनीय डेटा एवं सूचना परिवेश को बढ़ावा देना और गलत सूचना व भ्रामक सूचनाओं से निपटना आदि।

आयकर विधेयक, 2025 संसद में पेश किया गया

नया विधेयक व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करने पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि आयकर विधेयक, 2025 की भाषा को सरल रखा गया है तथा अस्पष्टताओं को हटाने का प्रयास किया गया है।

नए विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

- **मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक संशोधन** हो चुके हैं। इससे इसकी **मूल संरचना** ही बदल गई है।
- **आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा जटिल** है। इससे करदाताओं के लिए कानून के **अनुपालन की लागत बढ़** जाती है और प्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों (direct-tax authorities) की दक्षता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

नए विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **संक्षिप्त:** मौजूदा विधेयक, आयकर अधिनियम, 1961 से **283 धाराएं एवं 24 अध्यायों** को हटाने का प्रावधान करता है।
- **भाषा सरलीकरण:** 'वित्त वर्ष' और 'मूल्यांकन वर्ष' जैसी मौजूदा शब्दावली के स्थान पर **'कर वर्ष'** जैसी शब्दावली को जोड़ा गया है।
- **विस्तृत रूपरेखा:** कर योग्य आय, अनुपालन नियम और वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- **वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान:** यह विधेयक "वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति" को परिभाषित करता है। साथ ही, उन पर कराधान के लिए स्पष्ट प्रावधान भी करता है।
- **टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं:** यह मौजूदा टैक्स स्लैब और कर में छूट संबंधी संरचनाओं को बरकरार रखता है, उपयोगिता में सुधार करते हुए निरंतरता बनाए रखता है आदि।
- **अनावश्यक धाराओं को हटाना:** अधिनियम को सरल बनाने के लिए **'फ्रिंज बेनिफिट टैक्स'** जैसे पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है।
- **अन्य:** आसानी से पढ़ी जा सकने वाली **तालिकाओं** का उपयोग किया गया है तथा इसमें **करदाताओं के चार्टर** को शामिल किया गया है। इस चार्टर में करदाताओं की जिम्मेदारियों और अधिकारों का उल्लेख है। इसके अलावा, **वैकल्पिक विवाद समाधान** के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

रक्षा मंत्री ने भारत के लिए हाइब्रिड वारफेयर (युद्ध) के खतरों को रेखांकित किया

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री ने इस तथ्य पर जोर दिया कि **हाइब्रिड वारफेयर शांति काल में भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं (Critical national infrastructure) को खतरा** पहुंचा सकता है।

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- **यह पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध** के तरीकों का संयोजन है। इसमें **सैन्य अभियान, साइबर युद्ध, दुष्प्रचार (Disinformation) अभियान और आर्थिक दबाव** शामिल होते हैं।
  - उदाहरण के लिए: चीन की **"थ्री वारफेयर स्ट्रेटेजी"** जिसमें मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी रणनीतियां शामिल हैं।

हाइब्रिड वारफेयर की मुख्य विशेषताएं

- **अस्पष्टता (Obscurity):** हाइब्रिड वारफेयर में इस तथ्य का पता नहीं चल पाता कि दुश्मन की कोई कार्रवाई शांतिकालीन कार्रवाई है या वास्तविक युद्ध जैसी कार्रवाई है।
- **अनिर्णय की स्थिति (Vagueness):** इस तरह का युद्ध, दुश्मन की कार्रवाई की पहचान करना जटिल बनाता है और जवाबी कार्रवाई में दुविधा में डाल देता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि हाइब्रिड वारफेयर का पीड़ित देश न तो हमले का पता लगा पाता है और न ही इसे किसी देश की प्रत्यक्ष कार्रवाई से जोड़ पाता है।

हाइब्रिड वारफेयर के उभरने के प्रमुख कारण

- **सामरिक लाभ (Strategic Advantage):** यह युद्ध की बिना औपचारिक घोषणा किए राजनीतिक या आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इस तरह के युद्ध में कूटनीतिक वार्ता की संभावना बनी रहती है।
- **कम लागत (Less Costly):** इस तरह का युद्ध किसी कार्रवाई की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने से बचने में मदद करता है। साथ ही, इसमें कम लॉजिस्टिक्स और कम खर्चे की जरूरत पड़ती है।

भारत के लिए हाइब्रिड वारफेयर के खतरे

- **बाहरी खतरे:** पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों, ड्रग कार्टेल्स और छद्म ताकतों का समर्थन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **देश के भीतर उग्रपंथी और घुसपैठिये:** मध्य भारत में नक्सलवाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नृजातीय संघर्ष आदि भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे हैं।
- **महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं पर खतरा:** उदाहरण के लिए- कुछ समय पहले कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर साइबर हमले हुए थे।

हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के उपाय

- **रक्षा रणनीतियों में हाइब्रिड वारफेयर को शामिल करना:** भारत को अपनी भौगोलिक अवस्थिति से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए अनुकूलन उपाय करने होंगे। साथ ही, अपने सबल पक्षों और सामर्थ्यों का उपयोग करना होगा।
- **सशस्त्र बलों का क्षमता-निर्माण:** अत्याधुनिक तकनीकों को संभालने के लिए सैनिकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित और तैयार करना होगा।

भारत में हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- **भारत की तीनों सेनाओं के मध्य एकीकरण:** इसके लिए **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** का पद बनाया गया है।
- **साइबर खतरों से निपटने के लिए उपाय:** रक्षा साइबर एजेंसी (Defence Cyber Agency) का संचालन किया जा रहा है।
- **रक्षा क्षेत्रक में स्वदेशीकरण:** 'मेक इन इंडिया' पहल आदि के माध्यम से रक्षा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक कार्य यात्रा संपन्न की

भारत के प्रधान मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और नागरिकों के बीच मजबूत जुड़ाव के आधार पर **भारत-अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की क्षमता की पुष्टि की है।**

- दोनों पक्षों ने सहयोग के प्रमुख स्तंभों में रूपांतरकारी बदलाव लाने के लिए **"21वीं सदी के लिए यू.एस.-इंडिया कॉम्पैक्ट"** की घोषणा की है।
  - **यू.एस.-इंडिया कॉम्पैक्ट:** कैटालाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलेरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी।

इस आधिकारिक यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर

सहयोग के क्षेत्र	पहलें
रक्षा	• 21वीं सदी में **अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी** के लिए एक नए **10-वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर** करने की योजना की घोषणा की गई। • **स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन (Autonomous Systems Industry Alliance: ASIA):** इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना है।**
व्यापार और निवेश	• **'मिशन 500': 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने** से अधिक बढ़ाकर **500 बिलियन डॉलर** करने का नया लक्ष्य तय किया गया है। • **द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA):** इसके तहत **2025 के अंत** तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, मल्टी-सेक्टर BTA के पहले चरण पर वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा सुरक्षा	• अमेरिका ने भारत के **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अपनी मजबूत समर्थन की पुष्टि की। • **दोनों पक्षों ने अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को** पूर्णतः कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। – भारत और अमेरिका के बीच **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौते** को 123 समझौता भी कहा जाता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इस पर अमेरिका के **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के तहत हस्ताक्षर** किए गए थे।
प्रौद्योगिकी और नवाचार	• **USA-इंडिया ट्रस्ट/ TRUST (रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों को नया रूप देना):** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्रक के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना। • **इंडस (INDUS) इनोवेशन:** यह अमेरिका-भारत उद्योग और शैक्षणिक जगत के मध्य साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन ब्रिज के रूप में काम करेगा।
बहुपक्षीय सहयोग	• अमेरिका ने **तहव्वुर राणा** (26/11 आतंकी हमलों से जुड़ा आतंकी) **के भारत को प्रत्यर्पण को मंजूरी प्रदान की।** • **हिंद महासागर सामरिक उद्यम (Indian Ocean Strategic Venture):** यह आर्थिक कनेक्टिविटी और वाणिज्य में समन्वित निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक **नया द्विपक्षीय, समग्र सरकार दृष्टिकोण पर आधारित फोरम है।**

भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की

इस उद्घोषणा के साथ ही **मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन** लगाया जा चुका है। राज्य में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन **2001-02** में लगाया गया था। वर्तमान उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधान सभा निलंबित हो गई है।

राष्ट्रपति शासन के बारे में

- **संविधान:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 356** किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। संविधान में उपबंध है कि **यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं** चलती है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में **राष्ट्रपति शासन लगा** सकता है।
  - कभी-कभी, राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का उपयोग कर सकता है।
- **अवधि और अनुमोदन: अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, इसे **दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) से साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन** प्राप्त होना जरूरी है। यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है, तो यह **दो माह बाद स्वतः समाप्त** हो जाता है।
  - एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति शासन **अधिकतम छह महीने** तक जारी रह सकता है। हालांकि, इसे **हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया** जा सकता है।
- **निरसन: राष्ट्रपति अपनी बाद की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटा** सकता है।
- **परिणाम:**
  - **राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति** अपने हाथ में ले सकता है।
  - राष्ट्रपति **राज्य विधान-मंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित** कर सकता है।
  - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर **संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के कामकाज पर नहीं पड़ता** है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994)

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन** होगी।
- जब तक उद्घोषणा को **संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधान सभा को भंग नहीं कर सकता, केवल निलंबित** कर सकता है।

केंद्र सरकार ने 'पंचायतों को अधिकार और संसाधन हस्तांतरण की स्थिति' पर रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट का शीर्षक **"राज्यों में पंचायतों को अधिकारों और संसाधन के हस्तांतरण की स्थिति-सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग"** है। इस रिपोर्ट में इस बात का गहन विश्लेषण किया गया है कि **73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतें अपनी संवैधानिक भूमिकाएं निभाने में कितनी सक्षम हैं।**

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **पंचायत हस्तांतरण सूचकांक:** यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की **'अधिकारों के हस्तांतरण (Devolution) के निम्नलिखित 6 आयामों के आधार पर रैंक प्रदान** करता है।
  - फ्रेमवर्क, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही।
- पंचायतों को हस्तांतरण **2013-14 में 39.9% था, जो 2021-22** के दौरान बढ़कर **43.9%** तक हो गया था।
- पंचायतों को हस्तांतरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य **कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं।**
- **क्षमता में वृद्धि:** यह **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** जैसी पहलों के चलते **44% से बढ़कर 54.6%** हो गई है।

प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के समक्ष प्रमुख समस्याएं

- चुनाव-प्रबंधन: राज्य चुनाव आयोगों (SECs) को पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर कभी-कभी राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है। इसके कारण **देरी या राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़** जाती है।
- **जिला नियोजन समितियां:** यद्यपि **जिला नियोजन समितियां** लगभग सभी राज्यों में गठित की गई हैं, लेकिन इनके द्वारा जमीनी स्तर की योजना कहीं भी नहीं बनाई गई हैं।
  - ज्ञातव्य है कि संविधान के **अनुच्छेद 243ZD जिला नियोजन समितियों का गठन अनिवार्य** करता है।
- **पंचायतों की गैर-केंद्रीयता:** वर्तमान में कई समानांतर निकाय (ऐसी संस्थाएं जिनके कार्य क्षेत्र पंचायतों के कार्य क्षेत्र से ओवरलैप करते हैं) पंचायतों के लिए निर्धारित **ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों पर काम** कर रहे हैं। इससे संविधान के तहत पंचायतों के लिए निर्धारित कार्य बाधित होते हैं।

इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **राज्य चुनाव आयोगों की स्वायत्तता:** राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना चुनाव संबंधी मामलों जैसे **तिथियों के निर्धारण, परिसीमन और सीट के आरक्षण पर पूर्ण अधिकार** दिया जाना चाहिए।
- **पंचायतों की स्वायत्तता:** स्थानीय अभिशासन में पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए नियमित जिला नियोजन, राज्य की नीतियों के साथ समन्वय और राष्ट्रीय नीति के साथ संरेखण हेतु व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए।
- **निधि का आवंटन: ग्यारहवीं अनुसूची** के विषयों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सभी निधियां सीधे पंचायतों को दी जानी चाहिए, न कि किसी समानांतर निकाय को।

अन्य सुर्ख़ियां

एक्सटेंडेड रियलिटी

हाल ही में, वेवलैप्स और भारत XR ने XR क्रिएटर हैकथॉन का आयोजन किया। इस हैकथॉन में **एक्सटेंडेड रियल्टी के इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को आगे आने का अवसर** दिया गया।

एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) के बारे में

- यह एक व्यापक शब्दावली है, जिसमें **वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR)** जैसी इमर्सिव प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- **प्रमुख एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) प्रौद्योगिकियां:**
  - **वर्चुअल रियलिटी (VR):** VR उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से एक काल्पनिक (सिमुलेटेड) परिवेश का अनुभव कराती है। इसमें एक हेडसेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता एक आभासी दुनिया में चला जाता है।
  - **ऑगमेंटेड रियलिटी (AR):** यह डिजिटल कंटेंट को जोड़कर वास्तविक दुनिया को और अधिक समृद्ध बनाती है। अतः यह **वास्तविकता को हटाए बिना** उपयोगकर्ता के अनुभव को और बेहतर करती है।
  - **मिक्स्ड रियलिटी (MR):** यह वास्तविक दुनिया और डिजिटल ग्राफिक्स का मिला-जुला रूप है। इसमें उपयोगकर्ता डिजिटल और वास्तविक दुनिया दोनों से सीधे अंतर्क्रिया कर सकते हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) फ्रेमवर्क

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ESG रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु नए उपायों का प्रस्ताव दिया है।

ESG फ्रेमवर्क के बारे में

- यह **मानकों का एक सेट है जो यह बताता है कि कोई कंपनी हमारे ग्रह और लोगों के लिए कैसे काम करती है। इसमें तीन आयाम शामिल हैं:**
  - **पर्यावरणीय:** इसके तहत कंपनी के प्रदर्शन की जांच की जाती है कि वह पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को कितनी अच्छे से निभा रही है।
  - **सामाजिक:** इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है।
  - **गवर्नेंस:** यह किसी संगठन के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए नियमों, सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं को उजागर करती है।
- **महत्त्व:** इसका उपयोग **निवेश की जांच करने** के लिए किया जाता है, तथा यह कंपनियों को जिम्मेदारी से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrB)

हाल ही में, कम प्रतिफल के कारण सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (SGrBs) में निवेशकों की कम रुचि देखी जा रही है।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (SGrBs) के बारे में

- **घोषणा:** इसकी घोषणा अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को काफी कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।
- **इसके बारे में:** ये पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं।
  - हरित परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं, जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंस को बढ़ावा देती हैं, तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र एवं जैव विविधता को पर्याप्त महत्व देती हैं और उनको बेहतर बनाती हैं।
- **महत्त्व:** यह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) को प्राप्त करने; अनुच्छेद 48-A के तहत संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने आदि के लिए महत्वपूर्ण है।

ड्राफ्ट अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025

भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया।

ड्राफ्ट विधेयक के बारे में

- संशोधनों का उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना है।
- **प्रस्तावित प्रमुख संशोधन**
  - **परिभाषा का विस्तार:** "विधि स्नातकों" में अब 3 या 5 वर्षीय डिग्री धारक को भी शामिल किया गया है; "विधिक पेशेवर" में कॉर्पोरेट और विदेशी वकील को भी शामिल किया गया है।
  - न्याय में बाधा न बनने वाली केवल प्रतीकात्मक या एक दिवसीय हड़ताल को छोड़कर वकीलों या अधिवक्ताओं की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - बार काउंसिल में सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम तीन सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

इनडाइरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन

हाल ही में, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन (IPI) एक नया सुरक्षा खतरा बनकर उभरा है। इसे AI चैटबॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इनडाइरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन (IPI) के बारे में

- यह तब होता है, जब एक लार्ज लेंग्वेज मॉडल (LLM) साइबर हमलावर द्वारा नियंत्रित बाह्य स्रोतों जैसे वेबसाइट्स या फाइलों से इनपुट स्वीकार करता है।
  - LLMs मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, जो विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण करके मानव की क्षमता के समान भाषा को समझ और जनरेट कर सकते हैं।
- हमला तब होता है, जब हमलावर गैर-हानिकारक लगने वाले दस्तावेज़ों या ईमेल्स में हानिकारक निर्देश डालता है। इससे चैटबॉट्स अवैध क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे संवेदनशील जानकारी खोजना।
- **प्रभाव:** चैटबॉट की लांग-टर्म मेमोरी करप्ट हो जाती है, उपयोगकर्ता का डेटा चोरी हो सकता है, आदि।

आइंस्टीन रिंग

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष टेलिस्कोप ने NGC 6505 नामक आइंस्टीन रिंग की खोज की।

आइंस्टीन रिंग के बारे में

- यह प्रकाश का एक वलय है। इसे पहली बार 1987 में खोजा गया था। यह एक प्रकार के डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर बनता है।
- आइंस्टीन रिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक उदाहरण है।
  - ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी पिंड (जैसे कि आकाशगंगा या क्वासर) के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है। पिंड का गुरुत्वाकर्षण अपने आस-पास के स्पेस-टाइम में इतनी वक्रता (curvature) उत्पन्न कर देता है, कि उससे प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है।
- आइंस्टीन रिंग से जुड़े गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने, अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रभावों का पता लगाने आदि में मदद कर सकते हैं।

सूडान वायरस

युगांडा सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की।

सूडान वायरस रोग (SVD) के बारे मे

- यह एक वायरल रक्तस्रावी फीवर रोग है। इसका वायरस इबोला वायरस की फैमिली से संबंधित है।
  - इसकी पहली बार 1976 में दक्षिणी सूडान में पहचान की गई थी।
- इसमें मृत्यु दर 41% से 70% के बीच है।
- संचरण: यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त, अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, अंगों या दूषित सतहों व पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। इसका जोखिम नैदानिक लक्षणों के प्रकट होने के बाद शुरू होता है और रोग की गंभीरता के साथ बढ़ता जाता है।
- अभी तक SVD के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है

ढोकरा कलाकृतियां

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ढोकरा कलाकृतियां उपहार के रूप में भेंट की।

ढोकरा कलाकृतियों के बारे में

- उत्पत्ति: इस कला का इतिहास छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में रहने वाली ढोकरा डामर जनजातियों से जुड़ा हुआ है। ये जनजातियां मध्य भारत की पारंपरिक धातु कला की कारीगर हैं।
- तकनीक: इसमें धातु की ढलाई के लिए लुप्त-मोम विधि अथवा सायर पेर्ड्यू का उपयोग किया जाता है।
- सबसे प्रारंभिक उदाहरण: भारत में इस कला का प्रचलन पिछले 4,000 वर्षों से भी अधिक समय से रहा है। सबसे प्रारंभिक ज्ञात ढोकरा कलाकृति मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति है।
- विषयवस्तु: प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

सरोजिनी नायडू

देशभर में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह दिवस स्वतंत्रता, महिला अधिकारों और सशक्तीकरण में सरोजिनी नायडू की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

सरोजिनी नायडू (1879 - 1949) के बारे में

- उन्हें 'नाइटिंगेल ऑफ इंडिया' या 'भारत कोकिला' के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता और प्रसिद्ध कवयित्री थीं।
- वे 1947 में स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनीं थीं। वे संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) की राज्यपाल बनी थीं।
- **प्रमुख योगदान:**
  - वे 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थीं।
  - उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की सह-स्थापना की थी।
  - वे 1919 में ऑल इंडिया होमरूल लीग का हिस्सा बनी थीं।
  - 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा बनीं थीं।
  - नायडू ने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में हिस्सा लिया था।
  - 1931 में, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने गांधीजी के साथ हिस्सा लिया था।
  - साहित्यिक कृतियां: द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम (1912), द ब्रोकन विंग, आदि।
- मूल्य: देशभक्ति, न्याय, नेतृत्व, समानता, आदि।